

I/150525/2022

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद - शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा 8 "4" एवं 125 एमएम एमडीपीइ डाय भूमिगत नेचुरल गैस पाईप डालने हेतु मुजफ्फरनगर तिरहा थाना भवन से अजीज पेट्रोल पम्प एन० एच०-709 बी० पुराने किमी० चैनेज 118.345 से 119.645 तक 1.60 किमी० सहारनपुर तिरहा शामली से करौंदा हाथी एन० एच०-709 ए० डी० पुराना कि० मी० चैनेज 38.00 से 48.00 तक 5.00 कि० मी० एवं विजय टॉकिज से केरियर व्हीलस एन० एच०-709 ए० डी० पुराना चैनेज 37.200 से 31.700 तक 5.50 कि० मी० कुल लम्बाई 12.100 कि० मी० में कुल 0.6050 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०-एफपी/यूपी/अदर्स/146070/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-325/81-2-2021-800(22)/2022 दिनांक 28 मार्च 2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 28-03-2022 13:28:27

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।